पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक / 2755 / अका. / 2011 रायपुर, दिनांक 21 जनवरी, 2011

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक सोमवार, दिनांक [illegible]1.2011 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. डॉ. एस.के.पाण्डेय, कुलपति		अध्यक्ष
2. प्रो.(श्रीमती) [illegible]		सदस्य
3. प्रो. अब्दुल अलीम खान		सदस्य
4. प्रो. [illegible]		सदस्य
5. प्रो. ए.के. पति		सदस्य
6. प्रो. [illegible]		सदस्य
7. प्रो. शैलेन्द्र कुमार सिंह		सदस्य
8. डॉ. जगदीश [illegible]		सदस्य
9. डॉ. आर. बाला सुब्रमनियम		सदस्य
10. डॉ. दीपक कारकून		सदस्य
11. डॉ. अरविन्द [illegible]		सदस्य
12. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला		सदस्य
13. श्री एस. [illegible]		सदस्य
14. डॉ.जी.डी. गुप्ता		सदस्य
15. श्री [illegible]		सदस्य
16. श्री अशोक [illegible]		सदस्य
17. डॉ. [illegible]		सदस्य
18. श्री कुलदीप [illegible]		सदस्य
19. श्री के.के. [illegible], कुलसचिव		सचिव

सर्वप्रथम कुलपतिजी द्वारा कार्यपरिषद की ओर से सर्वश्री [illegible], डॉ. [illegible] गुप्ता, डॉ. आर.बाला सुब्रमनियम, डॉ. अरविन्द मिसालकर, डॉ. दीपक कारकून, एवं डॉ. जगदीश [illegible] का कार्यपरिषद के सदस्य के रूप में स्वागत किया एवं सभी सदस्यों को [illegible] शुभकामनाएं दी।

कार्यवृत्त :

विषय क्रमांक 1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 23.11.2010 [illegible]

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 23.11.2010 के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की गईः

(i) विषय क्रमांक 9 छात्र श्री अभिषेक गुप्ता, बी.ए.एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर अनुक्रमांक 460003 के प्रकरण पर पूर्व कार्यपरिषद की बैठक मे गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन मोहरबंद लिफाफा को खोला गया, जिसमें निम्नलिखित-

निष्कर्ष उल्लेखित है

"फोरेंसिक विशेषज्ञ से मूल्यांकनकर्ता द्वारा संदेहित पृष्ठों पर एक ही व्यक्ति द्वारा की गई अथवा नहीं, एक ही समय पर की गई या नहीं एवं एक ही स्याही से

मूल्यांकन का कार्य सभी पृष्ठों पर किया गया है या नहीं अभिमत प्राप्त करने के पश्चात यदि अभिमत यह आता है कि उक्त कृत्य दूसरे व्यक्ति द्वारा की गई हो तो प्रकरण की एफ.आई.आर. दर्ज की जावे ताकि प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्य विश्वविद्यालय प्रशासन को उपलब्ध होकर सही व्यवस्था व्यवस्थित करने में सहायक हो सके। समिति उपरोक्त निष्कर्ष की अनुशंसा करती है।''

कार्यपरिषद ने समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण पर एफ.आई.आर. दर्ज करने का अनुमोदन किया गया।

(ii) छात्र श्री सौरभ मिश्रा के प्रकरण के बारे में जानकारी दी गई कि संबंधित छात्र द्वारा पूर्व घटना को स्वीकार करते हुए क्षमायाचना लिखित में प्रस्तुत की है।

(iii) छात्र श्री हरजीत सिंह चावला के प्रकरण में जानकारी दी गई कि संबंधित छात्र प्रकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका दायर किया है। चर्चा के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक बैठक में विषय कमांक–1 के बाद विषय कमांक 2 में पूर्व कार्यपरिषद के बैठक की कार्यवाही विवरण दी जावे। उपरोक्त जानकारी एवं निर्णय के साथ कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 23.11.2010 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान की गई।

विषय कमांक–2

पं.सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार की ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 08.09.2010 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : पं.सुंदरलाल शर्मा ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 08.09.2010 में निम्नलिखित निर्णय के साथ अनुमोदन किया गया।

(i) ग्रंथालय समिति के निर्णय बिंदु कमांक 5– राष्ट्रीय सेवा योजना एवं पोस्ट ऑफिस को ग्रंथालय भवन से हटाने के संबंध में प्रशासनिक दृष्टि से युक्तियुक्त संगत कार्यवाही शीघ्र कर ली जावे।

(ii) विषय कमांक 8 सेवानिवृत्त प्राध्यापकों की ग्रंथालय सदस्यता स्थगित रखा जाय के प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण पर पुनः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय।

(iii) विश्वविद्यालय के ग्रंथालय के संबंध में स्कोपस सॉफ्टवेयर बनाने की कार्यवाही की जावे।

(iv) ग्रंथालय को महाविद्यालयों से जोड़ने के संबंध में भी कार्यवाही की जाय।

विषय कमांक–3

राष्ट्रीय सेवा योजना सात दिवसीय विशेष शिविर कार्यकम 2010–11 आयोजन हेतु अग्रिम अनुदान राशि रु. 56,51,602–00 की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : राष्ट्रीय सेवा योजना सात दिवसीय शिविर कार्यकम 2010–11 आयोजन हेतु अग्रिम अनुदान राशि रु. 56,51,602–00 स्वीकृति प्रदान की गई। आगामी बैठक में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत किया जावे :

(i) पूर्व वर्षों में इस योजना के अंतर्गत कुल कितने केन्द्र को कितनी राशि आवंटित की गई।

(ii) आवंटित राशि में से कितने केन्द्रों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया तथा कितने महाविद्यालयों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

(iii) कितने महाविद्यालयों द्वारा उन्हें आवंटित राशि का खर्च नहीं किया, न ही शिविर आयोजन किया।

(iv) कितने महाविद्यालयों द्वारा शिविर के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

विषय क्रमांक -4

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.12.2010 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.12.2010 के कार्यवृत्त का अनुमोदन निम्नलिखित संशोधन के साथ किया गया।**
विषय कमांक 3 के निर्णय सरल कमांक 6 में शासकीय कन्या महाविद्यालय कसडोल के स्थान पर शासकीय महाविद्यालय कसडोल उल्लेखित किया जाय।

विषय क्रमांक-5

विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 26.11.2010 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 26.11.2010 के कार्यवृत्त को अनुमोदन किया गया।**

विषय क्रमांक–6

भोरमदेव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, मुरमुंदा, कुम्हारी, जिला–दुर्ग की सम्बद्धता बहाल किए जाने के संबंध में।

निर्णय : **भोरमदेव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, मुरमुंदा, कुम्हारी, जिला–दुर्ग की सम्बद्धता बहाल किए जाने के संबंध में निरीक्षण समिति गठन कर सात दिवस के अंदर निरीक्षण करा लिया जाय।**

विषय क्रमांक -7

सत्र 2010–11 के लिए स्टेशनरी क्रय करने हेतु रु. 10,00,000/– (रु. दस लाख) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **सत्र 2010–11 के लिए स्टेशनरी कय करने के लिए रु. 10,00,000/– (रु. दस लाख) स्वीकृति प्रदान की गई। इस विषय पर यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व वर्षों में इस मद के अंतर्गत व्यय राशि की जानकारी आगामी बैठक में दी जावे।**

विषय क्रमांक–8

भिलाई कालेज आफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, भिलाई महाविद्यालय प्रतिबंध (सत्र 2010–11 में प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंध) के संबंध में पुनर्विचार करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : **भिलाई कालेज आफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, भिलाई महाविद्यालय प्रतिबंध (सत्र 2010–11 में प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंध) के संबंध में पुनर्विचार करने के पहले समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण करा लिया जाय। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष एवं प्राचार्य निश्चित रूप से उपस्थित रहें तथा आवश्यकतानुसार इंफ्रास्ट्रक्चर का वीडियोग्राफी भी करा ली जाय।**

विषय क्रमांक–9

Woman Studies Center की इम्प्रेस्ट राशि रु. 1500/– से रु. 5000/– किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : Woman Studies Center **की इम्प्रेस्ट राशि रु. 5000/ किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

विषय क्रमांक--10

सीमांकन एवं अन्य कार्यों के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा रु. 5000/– इम्प्रेस्ट की राशि प्रदान करने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **सूचना ग्रहण की गई।**

विषय क्रमांक–11

सत्र 2010–11 की परीक्षाओं के लिए उत्तरपुस्तिका निर्माण के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **सत्र 2010–11 की परीक्षाओं के लिए मुद्रित होने वाली उत्तरपुस्तिका का प्रस्तावित प्रारूप जिसमें उत्तरपुस्तिका के बाएं भाग के उपर पं.र.वि.वि. पंचिंग करावें और इस विषय पर यह भी निर्णय लिया गया कि परीक्षा समाप्त होते ही समस्त महाविद्यालयों से कापी मंगा ली जावे।**

प्रत्येक महाविद्यालय को प्रदान की गई उत्तरपुस्तिका के उपयोग का भी हिसाब निश्चित रूप से रखी जावे। अगली बैठक में विस्तार से इस संबंध में जानकारी दी जावे।

विषय क्रमांक–12

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम के बाद पुनर्मूल्यांकन के पहले लिखित उत्तरपुस्तिका की फोटो कापी प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम के बाद पुनर्मूल्यांकन के पहले लिखित उत्तरपुस्तिका की फोटो कापी प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि इस व्यवस्था को लागू करने एवं अध्यादेश में संशोधन लाने के पूर्व यह आकलन की जावे कि मौजूदा स्टॉफ की व्यवस्था एवं संसाधन के अंतर्गत निर्धारित अवधि में यह कार्यवाही किया जा सकेगा या नहीं। इसी के साथ यह भी निर्णय लिया गया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यावहारिक रूप से जो कठिनाई आ सकती है वह क्या होगी। इसे कैसे निराकरण किया जा सकता है। अतः संपूर्ण जानकारी के साथ प्रकरण पुनः प्रस्तुत की जावे।**

विषय क्रमांक–13

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की कंडिका 47 एवं परिनियम क्रमांक 13 के अंतर्गत सत्र 01 जुलाई 2009 से 30 जून 2010 तक का वार्षिक प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की कंडिका 47 एवं परिनियम क्रमांक 13 के अंतर्गत सत्र 01 जुलाई 2009 से 30 जून 2010 तक का प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन में निम्नलिखित जानकारी का समावेश किया जावे।**

(i) **प्रतिवेदन में विभागवार जो जानकारी दी गई है उसमें विभाग के कार्य एवं प्रतिवेदन अवधि में उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को शामिल किया जाय।**

(ii) **संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद एवं अधिष्ठाता, छात्र कल्याण से संबंधित बिंदु के अंतर्गत विस्तृत जानकारी दी जावे।**

(iii) **वित्त विभाग के संबंध में पूर्व बजट की स्थिति एवं विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए एक समीक्षा निश्चित रूप से दी जाय। प्रारंभिक पृष्ठों पर विश्वविद्यालय का विजन का भी उल्लेख होना आवश्यक है।**

(iv) **आटोनामस कालेज के संबंध में भी जानकारी दी जावे। कालेजों में छात्रों की संख्या एवं भवन की स्थिति का भी उल्लेख किया जावे ।**

उपरोक्त जानकरी समावेश करने के साथ अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची :

विषय क्रमांक -1

दिनांक 21.01.2010 से 22.12.2010 तक 114 शोधार्थियों को कुलपतिजी के अनुमोदन के पश्चात् पी–एच.डी./डी.लिट्. की उपाधि प्रदान करने संबंधी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

विषय क्रमांक–2

विश्वविद्यालय परिसर में पेयजल व्यवस्था के लिए ओवर हैड टैंक में पंप मोटर लगाने एवं प्राक्कलन राशि रु. 2,00,000/– स्वीकृत किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय परिसर में पेयजल व्यवस्था के लिए ओवर हैड टैंक में पंप मोटर लगाने के लिए प्राक्कलन राशि रु. 2,00,000/– के अंतर्गत यह कार्य डिपाजिट वर्क के अंतर्गत अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से कराने हेतु अनुमोदन किया गया।**

विषय क्रमांक–3

भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा संचालित योजना MNRICT योजना के अंतर्गत रिसर्च पेपर, जर्नल, एवं अन्य डाटा डाउनलोडिंग एवं सामग्री के लिए Internet Connectivity 1GBPS करने के संबंधी प्रस्ताव के लिए वचन पत्र जारी करने पर विचार करना।

निर्णय : **भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा संचालित योजना MNRICT योजना के अंतर्गत Internet Connectivity 1GBPS संबंधी प्रस्ताव के लिए वचनपत्र प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।**

विषय क्रमांक–4

प्रो.ए.के.पति, आचार्य, एवं अध्यक्ष, बायोसाइंस अध्ययनशाला द्वारा डी.एस.टी. से प्राप्त प्रोजेक्ट अनुदान रु. 16,97,400/– में से उपकरण क्रय किये जाने हेतु रु. 8,85,402/– की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : **प्रो.ए.के.पति, आचार्य एवं अध्यक्ष, बायोसाइंस अध्ययनशाला द्वारा डी.एस.टी. से प्राप्त प्रोजेक्ट अनुदान रु. 16,97,400/– में से उपकरण क्रय किए जाने हेतु रु. 8,85,402/– क्रय नियम के अंतर्गत कार्यवाही करने की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की गई।**

विषय क्रमांक–5

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के विभिन्न कार्यों के लिए की जाने वाली भुगतान के परीक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट (सी.ए.) अधिकृत किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के विभिन्न कार्यों के लिए की जाने वाली भुगतान के परीक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट (सी.ए.) अधिकृत किए जाने के संबंध में प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि इस संबंध में पैनल बना ली जावे।**

विषय क्रमांक -6

विश्वविद्यालय बजट 2010-11 के आइटम क्रमांक 07 V SAT Networking & its maintenance/website maintenance/ Campus LAN & its maintenance (पृष्ठ 22) में उपलब्ध राशि पुनर्विनियोजित करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय बजट 2010–11 के आइटम कमांक 07 **V SAT Networking & its maintenance/website maintenance/ Campus LAN & its maintenance** (पृष्ठ 22) में उपलब्ध राशि पुनर्विनियोजित करते हुए इस में से रु. 5,00,000/- राशि आइटम कमांक–9 में से व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से..........

निर्णय कमांक -1

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10.01.2011 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। परिनियम कमांक–14 के अंतर्गत गठित समिति की अनुशंसानुसार दीक्षांत–समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. के.राधाकृष्णन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन(इसरो) बैंगलोर को उनकी उपलब्धियों एवं अंतरिक्ष विज्ञान में, उनके योगदानों के परिप्रेक्ष्य में डी.एस–सी. की मानद् उपाधि प्रदान करने की सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

निर्णय कमांक–2

विश्वविद्यालयीन परीक्षा 2011 के रिजल्ट प्रोसेसिंग हेतु चयनित 3 PSD अहमदाबाद के द्वारा निर्धारित समय पर परीक्षा आवेदन पत्रों की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण आगे के कार्यों के लिए अन्य न्यूनतम दर वाली निविदा से कार्य कराने हेतु अनुमोदन किया गया।

निर्णय कमांक–3

चिकित्सा संकाय में स्वर्णपदक दिए जाने के संबंध में विचार किया गया कि इस संबंध में समिति का गठन किया जाय तथा समिति की सुझाव या उनके द्वारा बनाए गए नियम के अंतर्गत चिकित्सा संकाय के अंतर्गत संबंधित छात्रों को स्वर्णपदक प्रदान किया जाय।

निर्णय कमांक–4

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, बैंगलोर की पीयर टीम द्वारा विश्वविद्यालय के भ्रमण एवं निरीक्षण का प्रतिवेदन एवं विश्वविद्यालय को **B** Grade प्राप्त होने की सूचना दी गई तथा विस्तृत जानकारी कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय कमांक–5

कुलपति जी द्वारा सत्रहवां दीक्षांत–समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. के. राधाकृष्णन द्वारा किसी कारणवश दिनांक 24 जनवरी, 2011 को उपस्थित नहीं हो सकने की जानकारी दी गई तथा यह भी जानकारी दी गई कि मुख्य अतिथि द्वारा दिनांक 02 फरवरी, 2011 को उपस्थित होने की सहमति प्रदान की है।

निर्णय कमांक–6

कुलगीत के संबंध में विचार–विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर प्रकिया के अंतर्गत खुली प्रतियोगिता के माध्यम से कुलगीत आमंत्रित किया जाय।

अन्य निर्णय :

1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत विजन तैयार करने हेतु एक समिति गठित किया जावे।

2. शिक्षक/कर्मचारी/छात्रों के शिकायत निराकरण हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया जावे। इसी के माध्यम से प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।

3. जनसंपर्क विभाग को सशक्त बनाने हेतु जनसंपर्क अधिकारी का पद भरने की कार्यवाही की जावे।

4. डॉ.जे.एल.भारद्वाज, सेवानिवृत्त प्राध्यापक को पुनः सेवा में लेने संबंधी आवेदन के संबंध में नियमों के अंतर्गत समानता की दृष्टि से परीक्षण के लिए समिति गठन कर नियमन बना ली जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक/ 2789 /अका./2010 रायपुर, दिनांक 21 जनवरी, 2011

प्रतिलिपिः

1. महामहिम कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्य,
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्त नियंत्रक
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक,

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)